Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में बी.एड. कॉलेज का निदेशक 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *31 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अजमेर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये सरवर खान निदेशक, एस.के. ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीडवाना नागौर को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी बीएड द्वितीय वर्ष की उपस्थिति पूरी बताकर परीक्षा का आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा करवाने की एवज में सरवर खान निदेशक, एस.के. ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीडवाना नागौर द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये सरवर खान उर्फ सुल्तान खान पुत्र श्री हिदायत खान कायमखानी निवासी गांव छोटी बेरी खुर्द, तहसील डिडवाना, जिला नागौर हाल निदेशक, एस.के. ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीडवाना नागौर को परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।